राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 217/2024

डॉ. प्रहलाद कुमार दायमा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
4. अधीक्षक, श्री कल्याण राजकीय चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.02.2024
आदेश की दिनांक : 09.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधन अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर राजकीय

श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर एवं हाल आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 24.01.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है और उसे दौसा जिले में सिलिकोसिस के रोगियों को अनियमित भुगतान किये जाने के संबंध में प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, जयपुर के द्वारा गठित चेस्ट रेडियोग्राफ कमेटी एवं जिला कलेक्टर, दौसा के द्वारा गठित जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में रोगियों को गलत प्रमाणीकरण जारी किया जाना पाया गया तथा प्रमाणीकरण किये जाने के कारण ऐसे रोगियों को सिलिकोसिस नीतियों के अनुसार भुगतान किये जाने पर राज्य सरकार को वित्तीय हानि होने के कारण अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर है और जिला सीकर में कार्यरत है। दिनांक 11.10.2019 से 10.10.2020 तक अपीलार्थी ने सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एस.के.महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, सीकर में तथा दिनांक 11.10.2020 से 06.11.2020 तक जयपुर निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में रहा और दिनांक 07.11.2020 से 31.12.2020 तक उपार्जित अवकाश पर था तथा दिनांक 01.01.2021 से अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर सेवायें दे रहा है। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में विभाग को अभ्यावेदन दिनांक 29.01.2024 को प्रस्तुत किया, जिसमें उल्लेख किया है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी सहित 9 कार्मिकों को सिलिकोसिस से संबंधित मामले में दौसा जिले में आदेशों की प्रतीक्षा में रखा है। जबकि 6 डॉक्टर दौसा जिले में कार्य कर रहे और 2 डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट के पद का कार्य देख रहे हैं। जबकि अपीलार्थी कनिष्ठ विशेषज्ञ क्षय रोग के पद पर सीकर जिले में पदस्थापित था, जिसे आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। जबकि वह रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और न ही कभी जिला दौसा की बोर्ड/कमेटी में मेम्बर के रूप में नियुक्त था और बिना विवेक का प्रयोग किये ही आदेश जारी कर दिया गया और एसपी, सीकर पुलिस कार्यालय में शिकायत दर्ज की गई और इस प्रकार अपीलार्थी को दिनांक 24.01.2024 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रख दिया गया, जो राजस्थान सेवा नियम के नियम 25ए के विपरीत है और आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को टीबीसी जालोर पदस्थापित कर दिया गया, जो स्थानांतरण पर लगाये गये प्रतिबंध के बाद जारी किया गया है, जो विधि एवं नियम के विपरीत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6261/2017 हेमेन्द्र कुमार त्रिवेदी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश

दिनांक 13.03.2018 में इस प्रकार आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाना उचित नहीं माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2024, 27.01.2024 एवं 15.03.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, सीकर में निरंतर कार्य करने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कई अवसर दिये जाने उपरांत भी लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत है और उसे आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा टीबीसी जालोर पदस्थापित किया गया है। चूंकि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 24.01.2024 के द्वारा दौसा जिले में सिलिकोसिस के रोगियों को अनियमित भुगतान किये जाने के संबंध में एवं राज्य सरकार को वित्तीय हानि के आधार पर आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया था तथा जिला कलेक्टर दौसा के द्वारा गठित जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में रोगियों को गलत प्रमाणीकरण जारी किया जाना पाया गया, जिसके आधार पर अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया, जिनके संबंध में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.01.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें अपीलार्थी ने निर्दोष होने का कथन किया और अभ्यावेदन के संदर्भ में निदेशक द्वारा दिनांक 30.01.2024 को आयुक्त को पत्र लिखा गया, जिसमें वस्तु स्थिति से अवगत कराने का आग्रह किया गया और अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा डीओ पत्र दिनांक 27.02.2014 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को लिखा गया, जिसमें यह कथन किया गया कि *''अधिकारी/कार्मिक दौसा जिले में पदस्थापित नहीं थे उनकी एसएसओ आईडी भी सिलिकोसिस प्रमाणीकरण हेतु न्यूमोपोनियोनिस बोर्ड द्वारा उपयोग में ली गई है। यद्यपि अधिकृत जांच एजेंसी से जांच करवाये जाने के उपरांत ही यह निर्धारित किया जा सकेगा कि यह किसके द्वारा किया गया है। इस संबंध में सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग को भी पत्र लिखा गया है।''* और इस प्रकार पत्रावली पर जांच एजेंसी द्वारा पूर्ण जांच कराये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का मामला

लम्बित होने के कारण उसे आदेशों की प्रतीक्षा उपरांत जालोर पदस्थापित किया गया है, जिसमें हमें कोई नियम विरूद्धता प्रकट नहीं होती है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य